2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ पटना–800 004.
BIHAR STATE CO-OPERATIVE BANK BUILDING, ASHOK RAJPATH, PATNA-800004.
दूरभाषः 0612–2675929 / दूरभाष एवं फैक्सः 0612–2675049 / ई–मेलः dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

पत्रांक–डी0 26015 / 5 / 2010– 122 दिनांक– 3/2/2014

निविदा आमंत्रण

उपर्युक्त के संबंध में सूचित करना है कि बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना–800004 में नन ए0सी0 छोटा वाहन (एम्बेसडर / इंडिका / जिप्सी आदि) जिला मुख्यालय से संबंधित जिले के विभिन्न क्षेत्रों एवं निकटवर्ती जिलों में आवश्यकतानुसार परिचालन हेतु चालक के साथ वाहन के दर हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 10.02.2014 तक मुहरबंद लिफाफे में निदेशालय में प्राप्त की जा सकती है। वाहन का परिचालन दिनांक 31.03.2014 तक कराया जाना है। तिथि को आवश्यकतानुसार बढ़ायी / घटायी जा सकती है। वाहन का परिचालन दर कि0मी0 के आधार पर किया जाये।

(अ) कार्य किये जाने संबंधी विस्तृत ब्यौराः–

1) पदाधिकारियों द्वारा बताये गये समय पर वाहन उपलब्ध कराना होगा।
2) वाहन के खराब / बिगड़ जाने पर मरम्मत की जिम्मेवारी संबंधित फर्म की होगी तथा वाहन खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक वाहन तत्काल उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी भी फर्म की होगी।
3) अपने पत्र पर सर्विस टैक्स नम्बर भी दर्शाना आवश्यक होगा।
4) वाहन चालक का ड्राईविंग लाइसेंस (स्थायी होना चाहिए) तथा नियमानुसार नवीकृत होना चाहिए।
5) वाहन हेतु पेट्रोल आदि का व्यय फर्म द्वारा किया जायेगा।

(ब) सामान्य शर्तेः–

1) किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्णतः या अंशतः रद्द करने का अधिकार निदेशालय जनगणना परिचालन, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा।
2) निविदादाता आने वाले सभी खर्चों सहित उल्लेख करते हुए अपनी निविदा मुहरबंद लिफाफे, निविदा बॉक्स में दिनांक 10.02.2014 के अपराह्न 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। अपराह्न 3:00 बजे के उपरांत किसी भी प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदायें उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। निविदादाता

अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा स्पीड पोस्ट/कुरियर के माध्यम से भी निदेशालय को भेजा जा सकता है।

3) निविदादाता की फर्म को संबंधित विभाग में पंजीयन अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगा।
4) भुगतेय राशि से नियमानुसार आयकर (टी0डी0एस0) की कटौती की जायेगी।
5) सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

भवदीय,

3/2/14

(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक (का0अ0)

1) ORGI Website.
2) Notice Board.